



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.06.2023	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-16 / 2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन एवं अन्य, ग्राम+पो0-औरा, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।</p> <p>आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह ने अपना लिखित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह ने यह माना है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप जाँच के बाद सही पाये गये। इसलिये सम्बन्धित लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आयोग सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह द्वारा आयोग को भेजे गये प्रतिवेदन एवं इसमें संलग्न अन्य दस्तावेज शिकायतकर्ता को भेज दिया जाय, ताकि शिकायतकर्ता यह जान पाये कि उनके शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। इस बीच शिकायतकर्ता ने आयोग से आग्रह यह किया है कि जो 17 बोरी चावल सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारियों, शिक्षकों की लापरवाही के कारण सड़ गया है, उसे बच्चों के बीच वितरित करने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। आयोग जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को निर्देश दिया है कि इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।</p> <p>उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजे।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="341 1377 635 1579" style="text-align: center;">  19.6.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div data-bbox="854 1377 1262 1579" style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	